न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 43/2021
GCMS Case No. 2021/131

सायल :–	बनाम	गैरसायल:–
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		राजुराम पुत्र श्री रतनाराम जाति भाट निवासी मस्तान बाबा पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 09/10/2024

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 02.07.2021 को गैरसायल राजुराम पुत्र श्री रतनाराम जाति भाट निवासी मस्तान बाबा पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली नगर जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके खिलाफ 2003 से प्रकरण न्यायालय में पेश होने तक कुल 24 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिसमें से 03 प्रकरणों में गैरसायल को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, एवं शेष प्रकरण जैर ट्रायल है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	धारा	थाना	नतीजा पुलिस व नतीजा न्यायालय
1	285/25.05.03	341, 323 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 179/08.06.03 जैर ट्रायल
2	609/12.11.03	341, 323 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 359/19.11.03 जैर ट्रायल
3	660/23.11.03	341, 323, 143 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 395/31.12.03 जैर ट्रायल
4	590/08.09.14	147, 341, 323, 324, 325 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 353/29.09.04 जैर ट्रायल
5	106/24.02.05	21/54 आब. अधि	कोतवाली	चालन नम्बर 66/08.03.05 जैर ट्रायल
6	97/23.02.06	341, 323, 327 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 68/28.02.06 जैर ट्रायल
7	212/26.05.06	16/54 आब. अधि	कोतवाली	चालन नम्बर 161/31.05.06 जैर ट्रायल
8	271/25.06.06	457, 380 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 214/20.07.06 जैर ट्रायल
9	566/28.12.06	341, 379, 327 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 17/26.01.07 जैर ट्रायल
10	48/04.02.08	341, 323/34 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 49/18.03.08 जैर ट्रायल
11	359/29.08.08	16/54, 56(1, 2) आब. अधि.	कोतवाली	चालन नम्बर 257/12.09.08 जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

12	452/22.10.08	16/54, 56(1, 2) आब. अधि.	कोतवाली	चालन नम्बर 331/12.11.08 जैर ट्रायल
13	15/16.01.09	16/54, 56(1, 2) आब. अधि.	कोतवाली	चालन नम्बर 09/27.01.09 जैर ट्रायल
14	144/26.04.09	147, 341, 323, 325, 427/149 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 120/25.05.09 जैर ट्रायल
15	182/20.05.09	341, 323/34 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 139/19.06.09 जैर ट्रायल
16	430/14.10.09	457, 380 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 337/18.12.09 जैर ट्रायल
17	263/29.06.10	13 आरपीजीओ	कोतवाली	चालन नम्बर 156/03.06.10 निर्णय दिनांक 26.07.10 को सीजेएम पाली से 100 रूपये जुर्माना
18	41/20.01.11	16/54 आब अधि.	कोतवाली	चालन नम्बर 97/13.05.11 जैर ट्रायल
19	114/28.03.10	341, 323/34 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 72/13.04.10 जैर ट्रायल
20	482/17.12.11	341, 323 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 323/27.12.11 जैर ट्रायल
21	486/20.12.11	341, 327/34 भादस	कोतवाली	चालन नम्बर 316/26.12.11 जैर ट्रायल
22	571/27.09.13	13 आरपीजीओ	कोतवाली	315/29.09.13 दिनांक 17.10.2013 को सीजेएम पाली से जुर्माना
23	189/24.04.18	13 आरपीजीओ	कोतवाली	115/28.04.18 दिनांक 29.05.18 को एजीजेएम सीआर पाली से 100 रूपये अभि व्यय व प्रताडना
24	376/18.07.19	341, 323/34, 324 भादस	कोतवाली	218/13.08.19 जैर ट्रायल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

उपरोक्त दर्ज चालानसुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल राजुराम पुत्र श्री रतनाराम जाति भाट निवासी मस्तान बाबा पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली निरन्तर रूप से जुआ खेलने एवं अवैध रूप से शराब बैचने के धन्धे में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद हैं। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। वक्त बहस गैरसायल अनुपस्थित होने से प्रकरण में अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश जुआरी एवं अवैध शराब के व्यापार में लिप्त है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अभियोजन अधिकारी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय सीजेएम कोर्ट पाली में मुकदमा नम्बर 189/2018 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी प्रकार माननीय सीजेएम कोर्ट पाली ने मुकदमा नम्बर 571/2013 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ तथा मुकदमा नम्बर 263/10 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ में दोषसिद्ध घोषित कर अर्थदण्ड से दण्डित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल राजुराम पुत्र श्री रतनाराम जाति भाट निवासी मस्तान बाबा पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत 03 माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना कोतवाली सिरोही, जिला सिरोही के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 24.10.2024 से 90 दिन के लिये पुलिस थाना कोतवाली सिरोही, जिला सिरोही में सप्ताह में एक बार अर्थात 90 दिन में बारह बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल राजुराम पुत्र रतनाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली गैरसायल राजुराम पुत्र रतनाराम भाट को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही उनके यहां गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली पाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 09/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner